

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू**

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 77 / 2026**

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ( राज० ) प्राधिकृत अधिकारी

— प्रार्थी बैंक

**बनाम**

1. श्रीमती प्रियंका सेनी पत्नी श्री मुकेश बागड़ी, ( 1 ) वार्ड नं० 07, नई सब्जी मण्डी, शिशुवाला कुआ, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज.-333307 ( 2 ) मैसर्स सौन्दर्य ब्यूटी पार्लर एवं ट्ररेन, नई सब्जी मण्डी, बगड़ी मार्केट, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज० 333307
2. श्री शीशाराम सैनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सैनी, वार्ड नं० 07 नई सब्जी मण्डी, शिशुवाला कुआ उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज० 333307

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात् "एक्ट" से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत्।

उपस्थित:-

एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा - प्रार्थी की ओर से

**आदेश**

**दिनांक 19.03.2026**

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को ( बड़ौदा कार लोन ) खाता सं० 44130600000571 में रु. 7 लाख की ऋण सुविधा दिनांक 23.10.2018 को उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्रीमती प्रियंका सेनी पत्नी श्री मुकेश बागड़ी के ( बड़ौदा कार लोन ) खाता सं० 44130600000571 में मारुती बैलेना जीटा हाईपोथिकेशन- रजिस्ट्रेशन नं० आरजे 18 सीसी 5965, ईजन नं० डी13ए-3366924 चेचिस नं० एमए3ईडब्लूबी62एसजेजी534350 रंग प्रीमियम सीत्वर, निर्माण वर्ष-2018 को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 23.04.2025 को एनपीए घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में 3,14,839.37/- दिनांक 18.05.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते हैं। उक्त ऋण खाता दिनांक 23.04.2025 को एनपीए घोषित होने के कारण "एक्ट" की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी ( अप्रार्थी ) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 23.05.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर ऋण राशि रु. 3,14,839.37/- दिनांक 18.05.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अन्तरण ( नीलामी ) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। श्रीमती प्रियंका सेनी पत्नी श्री मुकेश बागड़ी के ( बड़ौदा कार लोन ) खाता सं० 44130600000571 में मारुती

जिला कलक्टर झुंझुनू

बैलेना जीटा हाईपोथिकेशन- रजिस्ट्रेशन नं० आरजे 18 सीसी 5965, ईजन नं० डी13ए-3366924 चेचिस नं० एमए3ईडब्लूबी62एसजेजी534350 रंग प्रीमियम सील्वर, निर्माण वर्ष-2018 बैंक की सूचना के अनुसार उक्त बन्धक सम्पत्ति मान्यवर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मदर संख्या 6 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अंतरण ( नीलामी ) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अचल संपत्ति श्रीमती प्रियंका सैनी पत्नी श्री मुकेश बागडी के ( बड़ौदा कार लोन ) खाता सं० 44130600000571 में मारुती बैलेना जीटा हाईपोथिकेशन- रजिस्ट्रेशन नं० आरजे 18 सीसी 5965, ईजन नं० डी13ए-3366924 चेचिस नं० एमए3ईडब्लूबी62एसजेजी534350 रंग प्रीमियम सील्वर, निर्माण वर्ष-2018 है का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ० अरुण गर्ग )  
जिला जिलाधिकारी लखनपुर  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू